भारतीय स्टेट बँक
भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

शेयर आणि बॉन्ड विभाग, कॉर्पोरेट केन्द्र, 14वा माळा, स्टेट बँक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021.
शेयर एवं बॉन्ड विभाग, कारपोरेट केन्द्र, 14वाँ तल, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021.
Shares & Bonds Department, Corporate Centre, 14th Floor, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai - 400 021.

Tel. : 91-22-2274 0841 - 48 (Eight Lines) | **Fax** : 91-22-2285 5348 | **E-mail:** gm.snb@sbi.co.in

Date : 21st March, 2017

Ref. No.: CC/S&B/SA/2598

The Executive Director
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400001.

The Executive Director
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G- Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra – East,
Mumbai – 400051.

Dear Sir/Madam,

Sub: **SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015: Acquisition of Bharatiya Mahila Bank Limited (BMBL) by SBI**

Further to our letter No. CC/S&B/SA/2586 dated 20.03.2017 on the captioned subject and in terms of Regulation 30 of the Listing Regulations, we advise that the Government of India has issued the Acquisition of Bharatiya Mahila Bank Limited Order, 2017 on 20th March 2017, under sub-section (2) of Section 35 of the State Bank of India Act, 1955.

In terms of the said Order, the entire undertaking of Bharatiya Mahila Bank Limited (BMBL) shall stand transferred to and vested in the State Bank of India from 1st April 2017.

We submit herewith a copy of the Order dated 20th March 2017 which has been published in the Gazette of India.

Kindly take the same on record.

Yours faithfully,

Sanjay M. Abhyankar
Vice President – Compliance
(Company Secretary)

Encl.: as above

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 20, 2017/फाल्गुन 29, 1938
No. 212] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 20, 2017/PHALGUNA 29, 1938

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2017

सा.का.नि. 269(अ).–जबकि, भारतीय स्टेट बैंक (इसके बाद इसे **अंतरिती बैंक** कहा गया है) ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से और रिजर्व बैंक से परामर्श करके भारतीय महिला बैंक लिमिटेड (इसके बाद इसे **अंतरक बैंक** कहा गया है) के व्यवसाय का, उसके आस्तियों एवं दायित्वों सहित, समामेलन के रूप में अधिग्रहण करने के लिए समझौते किया है;

और, जबकि, अधिग्रहण से संबंधित निबंधनों और शर्तों पर अंतरिती बैंक के केन्द्रीय बोर्ड और अंतरक बैंक के बोर्ड द्वारा एक योजना के रूप में सहमति हो गई है;

और जबकि, रिजर्व बैंक ने अंतरक बैंक और अंतरिती बैंक द्वारा सहमत इस अधिग्रहण का अनुमोदन कर दिया है और इसे केन्द्रीय सरकार को उसकी मंजूरी हेतु भेज दिया है;

अत: अब भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 35 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश द्वारा इसकी मंजूरी देती है, नामत::-

1. (1) इस आदेश को भारतीय महिला बैंक लिमिटेड का अधिग्रहण आदेश, 2017 कहा जा सकेगा।

   (2) यह आदेश 1 अप्रैल, 2017 (जिसे इसके पश्चात् प्रभावी तारीख कहा गया है) से लागू होगा।

2. प्रभावी तारीख को तथा इस दिन से अंतरक बैंक को, प्रभावी तारीख से ठीक पहले, जैसी उसकी स्थिति थी, बिना किसी अगले अधिनियम, लिखत या विलेख के, अंतरिती बैंक को अंतरित कर दिया जाएगा और यह उसमें निहित होगा तथा अंतरक बैंक की सम्पूर्ण शेयर पूंजी जो अंतरक बैंक द्वारा धारित है, प्रभावी तारीख से रद्द समझी जाएगी।

3. अंतरक बैंक, जो कि अंतरिती बैंक को अंतरित किए गए हैं, के व्यापारिक कार्य और उसमें निहित सभी व्यवसाय, आस्तियां, अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार, लाइसेंस, अनुज्ञा-पत्र, अनुमोदन, अनुमति, प्रोत्साहन राशि, ऋण, सब्सिडी, छूट, अनुदान, स्वत्व, विशेष स्थिति और अन्य सुविधा तथा सारी सम्पत्ति अर्थात् चल एवं अचल, वास्तविक एवं व्यक्तिगत, मूर्त एवं अमूर्त, गुडविल, प्रतिलिप्याधिकार, कब्जे में अथवा सुरक्षित सभी बौधिक सम्पदा, कहीं भी अवस्थित वर्तमान या आकस्मिक आस्ति, चाहे वह किसी भी स्वरुप की हों, इनमें भूमि, वाणिज्यिक अथवा आवासीय परिसर, फिक्सर, वाहन, शेष नकद राशि, जमा राशियां, विदेशी मुद्रा, प्रकट एवं अप्रकट आरक्षित निधि, आरक्षित निधि, विशेष आरक्षित निधि, आरक्षित निधि, हितकारी आरक्षित निधि, कोई अन्य निधि, स्टॉक, निवेश, शेयर, लाभांश, बंधपत्र, डिबेन्चर, प्रतिभूति, किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रबंधन, औद्योगिक समुत्थानों को दिए ऋण, अग्रिम एवं प्रत्यभूतियां, भारत के अंदर एवं बाहर अंतरक बैंक के स्वामित्व, कब्जे या अधिकार में प्रभावी तारीख से ठीक पहले उदभूत अन्य किरायेदारी, पट्टे या बही-ऋण तथा प्रभावी तारीख से पूर्व स्वामित्वाधिकार में ऐसी सम्पत्ति से उत्पन्न अन्य सभी अधिकार एवं हित, तथा उनसे संबंधित सभी बही खाते, रजिस्टर, अभिलेख एवं दस्तावेज में शामिल सभी उधार, देयता और दायित्व, चाहे वह किसी भी स्वरूप का हो, यह भारत के भीतर एवं भारत के बाहर हो, को शामिल माना जाएगा और यह भी समझा जाएगा कि इसमें उस समय विद्यमान अंतरक बैंक के भारत के अंदर एवं बाहर किसी भी प्रकार का प्रभार, ऋण-भार, लियन अथवा इस पर प्रतिभूति अथवा इससे संबंधित प्रतिभूति सम्मिलित होंगे;

4. प्रभावी तारीख के ठीक पहले की सभी संविदाएं, विलेख, बाण्ड, गारंटियां, समझौते, आश्वासन, मुख्तारनामा तथा किसी भी प्रकार के अन्य लिखत एवं कार्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से लागू होगी और अंतरिती बैंक के विरूद्ध एवं उसके पक्ष में लागू होंगी इस तरह पूर्णरूपेण और प्रभावी तरीके से लागू होंगी मानो अंतरक बैंक के स्थान पर अंतरिती बैंक का नाम रहा हो या वह उसका एक पक्षकार हो और इस पैरा के उपबधों को लागू करने के लिए किसी अन्य पक्षकार अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जो उपर्युक्त लिखत अथवा समझौते का पक्षकार हो, की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

5. अंतरक बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण (इसमें संदेह का वर्जन, एक मध्यस्थम प्राधिकारी) में लंबित सभी कार्यवाहियां या वाद-हेतुक, वाद, डिक्री, वसूली प्रमाण-पत्र, अपील और सभी अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रभावी तारीख से उस अंतरिती बैंक द्वारा या उसके विरूद्ध ऐसे जारी रहेंगी या प्रवृत्त रहेंगी जिसे इस आदेश के आधार पर अंतरक बैंक ने निहित किया है, मानो यह आदेश प्रवृत्त न हुआ होता तो यह अंतरक बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध लागू होते और अंतरक बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होने के लिए रोक दिए जाएंगे।

6. (क) प्रभावी तारीख से, इस आदेश के संदर्भ में अंतरिती बैंक में अंतरक बैंक के संपूर्ण दायित्व को अधिकृत करने पर विचार करते हुए, अंतरिती बैंक, इस आदेश के उपबंधों के अध्यधीन और बिना किसी आवेदन,कार्य या विलेख के, इसे प्रयोज्य विधि अथवा विनियमों के अनुसार अंतरिती बैंक इस आदेश के जारी होने के पश्चात् अंतरक बैंक में शेयरधारक द्वारा धारित दस रूपये मूल्य के अंकित मूल्य के प्रत्येक एक सौ करोड़ शेयर के लिए (जिसे इसके पश्चात् **शेयर परिवर्तन अनुपात** के रूप में उल्लेख किया गया है), पूर्णत: चूकता पूंजी के रूप में अंतरिती बैंक तथा इसके नामिती (जिसे इसके पश्चात् **अंतरिती बैंक शेयरधारक** के रूप में उल्लेख किया गया है) के अलावा अंतरक बैंक के वैसे सदस्य, जिनका नाम अंतरिती बैंक के बोर्ड या इसकी कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित तारीख को सदस्य तथा निक्षेपागार के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज है, को एक रूपये अंकित मूल्य के चार करोड़ बयालीस लाख इकतीस हजार पांच सौ दस ईक्विटी शेयर जारी करेगा और आबंटित करेगा:

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) के संदर्भ में गैर अंतरिती बैंक शेयरधारकों को जारी अंतरिती बैंक का शेयर लाभांश, मताधिकार और अन्य सभी पहलुओं के संबंध में प्रभावी तारीख से अंतरिती बैंक के मौजूदा शेयर के साथ श्रेणीबद्ध किया जाएगा और यह भारत में सूचीबद्ध किए जाने और/या संगत शेयर बाजार, जहां अंतरिती बैंक का मौजूदा ईक्विटी शेयर कारोबार हेतु सूचीबद्ध अथवा स्वीकृत हो में कारोबार हेतु स्वीकार किए जाने के लिए प्रयोज्य विनियमों के अध्यधीन है।

(ग) प्रभावी तारीख को और इस दिन से:-

(i) उप पैरा (क) के उपबंधों के अनुसरण में गैर अंतरिती बैंक के शेयरधारकों या उनके नामितियों को जारी शेयर के अंकित की सीमा तक अंतरिती बैंक का शेयर बढ़ा हुआ माना जाएगा।

(ii) अंतरक बैंक की संपूर्ण शेयर पूंजी बिना किसी अगली कार्रवाई, विलेख अथवा लिखत के रद्द मानी जाएगी और ऐसे शेयर को दर्शाने वाला शेयर प्रमाण-पत्र, बिना किसी अगली कार्रवाई, विलेख या लिखत के स्वत: रद्द, समाप्त और निष्प्रभावी हो जाएगा;

(iii) बिना किसी अगली कार्रवाई, विलेख अथवा लिखत के अंतरक बैंक के प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद समाप्त हो जाएगा और अंतरक बैंक के निदेशक मंडल को भंग माना जाएगा।

(iv) बिना किसी अगली कार्रवाई, लिखत अथवा विलेख के अंतरक बैंक को समाप्त माना जाएगा।

7. प्रभावी तिथि से ठीक पहले अंतरक बैंक के नियोजन में सेवारत प्रत्येक स्थाई अधिकारी अथवा अन्य स्थाई कर्मचारी (निदेशक मंडल को छोड़कर) अंतरिती बैंक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर अंतरिती बैंक में अपने पद पर बने रहेगें अथवा सेवा जारी रखेगें और अंतरिती बैंक के एक अधिकारी अथवा कर्मचारी जैसा भी मामला हो, के रूप में कार्य जारी रखेंगे।

परंतु यह कि प्रभावी तिथि को अंतरक बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित समग्र वेतन और भत्ते अंतरक बैंक में उनके द्वारा आहरित समग्र वेतनमान और भत्तों से कम नहीं होंगें।

परंतु यह भी कि प्रभावी तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व अंतरक बैंक के अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी को वैसे वेतनमान या ग्रेड में रखा जाएगा, जैसाकि अंतरिती बैंक में मौजूद हो, अंतरिती बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया जाए और उन्हें अंतरिती बैंक के कर्मचारियों के समतुल्य वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे।

8. इस आदेश के जारी होने के बाद अंतरिती बैंक द्वारा अंतरक बैंक के स्थायी एवं नियमित अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को लिखित में रोजगार का एक प्रस्ताव (इसके पश्चात् इसका उल्लेख **विकल्प पत्र** के रूप में किया जाएगा) दिया जाएगा और यदि अंतरक बैंक का कोई अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी विकल्प के चयन के लिए विकल्प पत्र जारी करने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर अंतरिती बैंक में रोजगार प्राप्त करने के किसी विकल्प का चयन नहीं करता है तो, उस अधिकारी अथवा कर्मचारी को अंतरिती बैंक की सेवा में सेवारत माना जाएगा।

9. यद्यपि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) अथवा तत्समय प्रभावी किसी अन्य कानून में निहित हो, तो भी अंतरक बैंक के किसी अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारियों की सेवाओं का अंतरिती बैंक में स्थानांतरण ऐसे अधिकारियों अथवा अन्य कर्मचारियों को उक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अथवा तत्समय के लिए प्रभावी किसी अन्य कानून के उपबंधों के अंतर्गत किसी क्षतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं बनाएगा तथा ऐसे किसी दावे पर किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

परंतु यह कि अंतरक बैंक के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सेवा की शर्तों एवं निबंधनों में किसी परिवर्तन के लिए किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

10. ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जो अंतरक बैंक की सेवा से प्रभावी तारीख से पूर्व सेवानवृित्त हो चुके हैं या जिन्होंने इस प्रभावी तारीख के बाद अंतरिती बैंक की सेवा में न आने का विकल्प चुना है और अंतरक बैंक से किसी लाभ, अधिकारया विशेष सुविधाओं के लिए पात्र हैं, अंतरिती बैंक से ऐसे लाभ, अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं।

परंतु यह कि अंतरक बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी, जिन्होंने प्रभावी तारीख के बाद अंतरिती बैंक की सेवा में न आने का विकल्प चुना है, वे छटनी अथवा अन्यथा (इसमें पद अथवा रोजगार की क्षति अथवा अंतरक बैंक के साथ रोजगार संबंधी उनकी संविदा को समयपूर्व समाप्त करना शामिल है) के लिए नोटिस या क्षतिपूर्ति के पात्र नहीं होंगे।

11. अंतरक बैंक की भविष्य निधि अथवा उपदान निधि अथवा पेंशन निधि अथवा कोई अन्य निधि तथा अधिकारियों अथवा अन्य कर्मचारियों के लिए सृजित, स्थापित अथवा गठित कोई अन्य निकाय, जैसा भी मामला हो, अधिकारियों अथवा अन्य कर्मचारियों के लिए अंतरिती बैंक में बना रखेगा तथा भविष्य निधि अथवा उपदान निधि अथवा पेंशन निधि अथवा किसी अन्य निधि को दी गई कोई आयकर अथवा अन्य कर संबंधी छूट, यदि कोई हो, अंतरिती बैंक पर भी लागू रहेगी।

12. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 या तत्समय प्रभावी किसी अन्य कानून या अंतरक बैंक के विनियमों अथवा ज्ञापन या संस्था के अंतर्नियम में किसी बात के होते हुए अध्यक्ष, न्यासी, कार्यपालक न्यासी अथवा अंतरक बैंक के व्यवसाय और कार्यों का पूर्णरूपेण या उसके पर्याप्त भाग का प्रबंधन करने के लिए पात्र कोई अन्य व्यक्ति पद हानि के लिए या अंतरक बैंक के साथ उसके द्वारा की गई रोजगार की किसी संविदा की समयपूर्व समाप्ति के लिए अंतरक बैंक या अंतरिती बैंक के विरूद्ध किसी क्षतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

13. प्रभावी तारीख के अगले दिन अंतरक बैंक के बही को बंद कर दिया जाएगा एवं समायोजित किया जाएगा और नियत तारीख (अर्थात् वह तारीख, जिसका निर्धारण अंतरिती बैंक के केन्द्रीय बोर्ड अथवा अंतरक बैंक के बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए) के तत्काल बाद की तारीख को बंद किए गए कारोबार के अनुसार तुलन पत्र तैयार किया जाएगा और तुलन पत्र की लेखापरीक्षा इस प्रयोजन हेतु अंतरिती बैंक के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित अथवा नामित सनदि लेखाकार अथवा सनदि लेखाकार फर्म द्वारा इसकी लेखापरीक्षा की जाएगी एवं इसे प्रमाणित किया जाएगा।

14. उपर्युक्त पैरा के उपबंधों के अनुसार तैयार अंतरक बैंक के तुलन-पत्र की प्रति को अंतरिती बैंक द्वारा कंपनी के रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास प्राप्त होते ही दर्ज किया जाएगा और तत्पश्चात् अंतरक बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 92 के उपबंधों के अनुपालन में तुलन-पत्र या लाभ और हानि खाते तैयार करने अथवा अपने सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने अथवा इसकी प्रति आरओसी के समक्ष दायर करने या तुलन-पत्र एवं लेखों पर विचार करने या किसी अन्य प्रयोजन से बोर्ड या वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है।

15. अंतरक बैंक में भारत सरकार और इसके नामितियों द्वारा डिमेट रूप में धारित शेयर संबंधी शेयर प्रमाण-पत्र और मूर्त रूप में धारित शेयर बिना किसी कार्रवाई, विलेख या लिखत के स्वत: रद्द हो गया है और प्रभावी तारीख के पश्चात् प्रभावी नहीं होगा।

16. बीएमबीएल के अधिग्रहण को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) के अंतर्गत स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिनांक 29.11.2016 के आदेश के द्वारा अनुमोदित कर दिया है।

17. अंतरिती बैंक ऐसे निर्धारण अथवा निदेश, जैसा भी मामला हो, जैसा उपयुक्त माना जाए, पर इस योजना के तात्पर्य अथवा विवेचना के संबंध में उत्पन्न होने वाले प्रश्न अथवा उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों, इस आदेश अथवा इससे संबंधित मामलों को लागू करने के क्रम में, इसके उपयुक्त एवं पूर्ण कार्यान्वयन के लिए, उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए या तो अपने केन्द्रीय बोर्ड के या अपनी कार्यकारी समिति या केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के मध्यम से ऐसे निदेश जारी कर सकता है जोकि यथा आवश्यक इस आदेश के उपबंधों के असंगत न हो, यह एतदद्वारा संबद्ध अथवा अन्यथा इस आदेश से हितबद्ध सभी व्यक्तियों के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होगा मानो इन्हें इस आदेश में विशेषरूप में शामिल किया गया हो।

[फा. सं. 7/73/2015- बीओए]

मो. मुस्तफा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

ORDER

New Delhi, the 20th March, 2017

G.S.R. 269(E).—Whereas, the State Bank of India (hereinafter referred to as the **Transferee Bank**), with the sanction of the Central Government and in consultation with Reserve Bank of India, has entered into negotiations for acquiring, by way of amalgamation, the business including the assets and liabilities of the Bharatiya Mahila Bank Limited (hereinafter referred to as the **Transferor Bank**);

And, whereas, the terms and conditions relating to the acquisition have been agreed upon by the Central Board of the Transferee Bank and the Board of the Transferor Bank in the form of a Scheme.

And whereas, the Reserve Bank has approved the terms and conditions relating to such acquisition agreed upon, by the Transferor Bank and the Transferee Bank, and forwarded the same to the Central Government for its sanction;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 35 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, by the following order, accords its sanction, namely :-

1. (1) This Order may be called the Acquisition of Bharatiya Mahila Bank Limited Order, 2017.

   (2) It shall come into effect on 1st April, 2017 (hereinafter referred to as the effective date).

2. On and from the effective date, the undertaking of the Transferor Bank as it stood immediately before the effective date shall, without any further act, instrument or deed, stand transferred to, and vest in, the Transferee Bank in the manner provided herein.

3. The undertaking of the Transferor Bank which is transferred to, and will vest in, the Transferee Bank on and from the effective date shall be deemed to include all business, assets, rights, powers, authorities, licenses, permits, approvals, permissions, incentives, loans, subsidies, concessions, grants, liberties, special status' and other privileges and all properties namely, movable and immovable, real and personal, corporeal and incorporeal, goodwill, copyright, all rights under the intellectual property etc. in possession or reservation, present or contingent of whatever nature and wheresoever situated, including lands, commercial or residential premises, fixtures, vehicles, cash balances, deposits, foreign currencies, disclosed and undisclosed reserves, reserve fund, special reserve fund, benevolent reserve fund, any other fund, stocks, investments, shares, dividends, bonds, debentures, security, management of any industrial concern, loans, advances and guarantees given to industrial concerns, other tenancies, leases and book-debts and all other rights and interest arising out of such property as were immediately before the effective date in the ownership, possession or power of the Transferor Bank within or outside India, all books of account, registers, records and documents relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities and obligations of whatever kind within or outside India then subsisting of the Transferor Bank whether secured or unsecured, along with any charge, encumbrance, lien or security thereon or in respect thereof.

4. All contracts, deeds, bonds, guarantees, agreements, assurances, powers-of-attorney and other instruments of whatsoever nature and working arrangements subsisting immediately before the effective date shall be as of full force and effect against or in favour of the Transferee Bank and enforceable as fully and effectually as if, instead of the Transferor Bank, the Transferee Bank had been named therein or had been a party thereto and it shall not be necessary to obtain the consent of any third party or other person who is a party to any of the aforesaid instruments or arrangements to give effect to the provisions of this paragraph.

5. Any proceeding or cause of actions, suits, decrees, recovery certificates, appeals and all other legal proceedings pending or existing immediately before the effective date before any court or tribunal or any other authority (including, for the avoidance of doubt, an arbitral tribunal), by or against the Transferor Bank may, as from the effective date, be continued and enforced by or against the Transferee Bank in which the Transferor Bank has vested by virtue of this Order as it might have been enforced by or against the Transferor Bank as if this Order had not taken effect and shall cease to be enforceable by or against the Transferor Bank.

6. (a) On the effective date, in consideration of the transfer and vesting of the entire undertaking of the Transferor Bank in the Transferee Bank in terms of this Order, the Transferee Bank shall, subject to the provisions of this Order, and without any further application, act or deed, issue and allot in accordance with all applicable laws or regulations, Four crores forty two lakhs thirty one thousand five hundred and ten equity shares of the face value of One rupee each credited as fully paid up in the capital of the Transferee Bank to the Government of India (hereinafter referred to as the **Transferor Bank Shareholders**) and the records of the depository as members of the Transferor Bank on a date to be fixed by the Board of the Transferee Bank or its Executive Committee after the issuance of this Order (hereinafter referred to as the **record date**) for every one hundred crore shares of the face

value of Ten rupees each held by the shareholders in the Transferor Bank (hereinafter referred to as the **Share Exchange Ratio**).

(b) The shares of the Transferee Bank issued to the Transferor Bank Shareholders in terms of sub-paragraph (a) above will rank for dividend, voting rights and in all other respects, pari-passu with the existing shares of the Transferee Bank on and from the effective date and shall, subject to applicable regulations, be listed or admitted to trading on the relevant stock exchanges in India, where the existing equity shares of the Transferee Bank are listed or admitted to trading.

(c) On and from the effective date,—

(i) the share capital of the Transferee Bank shall stand enhanced to the extent of the face value of the shares issued to the Transferor Bank Shareholders pursuant to the provisions of sub- paragraph (a);

(ii) the entire share capital of the Transferor Bank shall, without any further act, deed or instrument, stand cancelled and the share certificates representing such shares shall, without any further act, deed or instrument, be deemed to be automatically cancelled, extinguished and be of no effect;

(iii) the whole time directors, including the Managing Director of the Transferor Bank shall, without any further act, deed or instrument, cease to hold office and the Board of Directors of the Transferor Bank shall stand dissolved;

(iv) the Transferor Bank shall, without any further act, deed or instrument, stand dissolved;

7. Every permanent and regular officer or other permanent and regular employee of the Transferor Bank (except the Board of Directors) serving in the employment immediately before the effective date shall become, as from the effective date, an officer or, as the case may be, employee of the Transferee Bank, and shall hold his office or service therein in the Transferee Bank on such terms and conditions approved by the Central Board of the Transferee Bank and shall continue to work in accordance therewith:

Provided that the overall pay and allowances offered to the employees or officers of the Transferor Bank on the effective date shall be not less than the overall pay and allowances as they would have drawn in the Transferor Bank:

Provided further that not later than the expiry of one year from the effective date, the officer or other employee of the Transferor Bank shall be fitted in such scales or grades, as existing in the Transferee Bank, as may be decided by the Central Board of Directors of the Transferee Bank, and shall be offered same pay and allowances as that of the employees of the Transferee Bank.

8. The permanent and regular officers or employees of the Transferor Bank shall be given an offer of employment in writing (hereinafter referred to as the o**ption letter**) by the Transferee Bank and where an officer or other employee of the Transferor Bank does not exercise any option, within a period of fifteen days from the date of the option letter given for exercising the option, to be in the employment of the Transferee Bank, such officer or employee shall be deemed to have accepted to continue in the service of the Transferee Bank.

9. Notwithstanding anything contained in the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) or in any other law for the time being in force, the transfer of the services of any officers or other employees of the Transferor Bank to the Transferee Bank shall not entitle such officers or other employees to any compensation under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 or any other law for the time being in force and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or any other authority:

Provided that no notice shall be required for any change in the terms and conditions of service of any officer or other employee of the Transferor Bank.

10. The officers or other employees who have retired before the effective date from the service of the Transferor Bank or opted not to join in the service of the Transferee Bank on and from the effective date and entitled to any benefits, rights or privileges from Transferor Bank shall be entitled to receive such benefits, rights or privileges from the Transferee Bank:

Provided that any officers or employees of the Transferor Bank who opt not to join the service of the Transferee Bank on and from the effective date shall not be entitled to notice or compensation, whether for retrenchment or otherwise (including for loss of office or employment or premature termination of his contract of employment with the Transferor Bank).

11. The Provident Fund or the Gratuity Fund or the Pension Fund or any other funds of Transferor Bank and any other bodies created, established or constituted, as the case may be, for the officers or other employees shall continue

with the Transferee Bank and any income tax or other tax exemption granted to the Provident Fund or the Gratuity Fund or the Pension Fund or any other funds, if any, shall continue to be applied to the Transferee Bank.

12. Notwithstanding anything contained in the State Bank of India Act, 1955 or any other law for the time being in force or the regulations or the Memorandum or Articles of Association of the Transferor Bank or the Transferee Bank, the Chairman, the Trustees, Executive Trustees or any other person entitled to manage the whole or substantial part of the business and the affairs of the Transferor Bank shall not be entitled to any compensation against the Transferor Bank or Transferee Bank, as the case may be, for the loss of office or for the premature termination of any contract of employment entered into by him with the Transferor Bank.

13. On the day immediately preceeding the effective date, the books of the Transferor Bank shall be closed and balanced and the balance sheet prepared as at the close of business on the date immediately preceding the appointed date (i.e. the date decided by the Central Board of the Transferee Bank and board of the Transferor Bank) and the balance sheet shall be got audited and certified by a Chartered Accountant or a firm of Chartered Accountants approved or nominated by the Audit Committee of the Board of the Transferee Bank for the purpose.

14. A copy of the balance sheet of the Transferor Bank prepared in accordance with the provisions of the foregoing paragraph, shall be filed by the Transferee Bank with the Registrar of Companies (ROC) as soon as possible after it has been received and thereafter the Transferor Bank shall not be required to prepare balance sheet or profit and loss accounts, or to lay the same before its members or file copies thereof with the ROC or to hold any Board meeting or Annual General Meeting for the purpose of considering the balance sheet and accounts or for any other purpose or to comply with the provisions of section 92 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

15. The share certificates in relation to the shares held in demat mode and those held in the physical mode by the Government of India and its nominees in the Transferor Bank shall be deemed to have been automatically cancelled and be of no effect on and from such effective date, without any further act, deed or instrument.

16. The Acquisition of BMBL by SBI is approved by Competition Commission of India, established under The Competition Commission Act, 2002(12 of 2003) vide its order dated 29.11.2016.

17. The Transferee Bank, either through its Central Board or its Executive Committee or any person authorised by the Central Board, may give all such directions, which are not inconsistent with the provisions of this Order as are necessary, expedient, incidental, ancillary or desirable including directions for settling or removing any question of doubt or difficulty that may arise with regard to the meaning or interpretation of this Order, the due and complete implementation of this Order, removing any difficulties as may arise in the course of implementation of the Order and other matters connected therewith, as they think fit, on such determination or directions as the case may be, shall be binding on all persons connected herewith or otherwise interested in this Order in the same manner as if the same were specifically incorporated in this Order.

[F. No. 7/73/2015 -BOA]

MD. MUSTAFA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.